बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 398825 दिनांक :- 28/11/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-6-24/11

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
बक्सर ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में बक्सर जिलान्तर्गत चौगाई प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत सतत् लीज पर 5.19 एकड़ रैयती भूमि लिये जाने के लिए कुल 1,66,08,000/- (एक करोड़ छियासठ लाख आठ हजार) रूपये मात्र का आवंटन ।**

प्रसंग:- **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 393525 दिनांक-12.10.18**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-393525 दिनांक-12.10.18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बक्सर जिलान्तर्गत चौगाई प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु मौजा-चौगाई, थाना नं0-318 अन्तर्गत 5.19 एकड़ रैयती भूमि को बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत सतत् लीज पर लेने के लिए कुल 1,66,08,000/- (एक करोड़ छियासठ लाख आठ हजार) मात्र आंवटित की जाती है ।

2) आवंटित राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास, उप शीर्ष-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 42-4515001030102 के विषय शीर्ष '53 02 भू-अर्जन' से विकलनीय होगा ।

3) आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्त्ता, बक्सर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, बक्सर से की जायेगी एवं राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-393525 दिनांक-12.10.18 में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा ।

4) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 3244 दिनांक 04.05.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

5) आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

10) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-4515001030102 है ।

11) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा) 28/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 398825 दिनांक:- 28/11/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 398825 दिनांक:- 28/11/18

प्रतिलिपि- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ उप विकास आयुक्त, बक्सर/ जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौगाई (बक्सर)/ अंचल अधिकारी, चौगाई (बक्सर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 398825 दिनांक:- 28/11/18

प्रतिलिपि- बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/11

सरकार के संयुक्त सचिव